तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5033/2005/नागौर** **मेघाराम बनाम किस्तुरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितिः–
(1) श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 25.08.2025

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के प्रकरण सं0 168/1984 में पारित आदेश दिनांक 28–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से वादी द्वारा प्रस्तुत नकल गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 तक को 200/– रू0 कोस्ट पर रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में मुख्य कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। संशोधित सी0पी0सी0 दिनांक 01–07–2002 से प्रभाव में आयी थी जिसमें आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 को डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार वादिया/अप्रार्थिया सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 दिनांक 31–03–2005 कानूनन संधारण योग्य ही नहीं था फिर भी उसको स्वीकार करके अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की है। वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 दिनांक 31–03–2005 को प्रस्तुत करके खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया गया जबकि उक्त गिरदावरी सन् 1974 की होकर सरकारी दस्तावेज है। यह दस्तावेज वादिया के पास सन् 1981 में जब उसके द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया था उस दिन भी मौजूद था। जिसके बारे में वादिया को जानकारी भी थी। इस कारण उक्त खसरा गिरदावरी को न्यायालय विधिक रूप से अब रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते हैं।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5033/2005/नागौर** **मेघाराम बनाम किस्तुरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादिया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना वाद सन् 1981 में पेश किया गया है जिसमें पक्षकारान की साक्ष्य भी पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार वादपत्र के 24 वर्ष तक विचाराधीन रहने के बाद वादिया द्वारा आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 31–03–2005 को प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। 24 वर्षो के लम्बे समय का संतोषप्रद कारण भी वादिया द्वारा नहीं बताया गया है। प्रार्थना पत्र कानूनन संधारण योग्य नहीं होने के बावजूद भी अविधिक तौर पर स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के प्रकरण सं0 168/1984 में पारित आदेश दिनांक 28–09–2005 को निरस्त किया जाकर वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 दिनांक 31–03–2005 को खारिज किया जावें। 4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के तर्को का विरोध करते हुए बहस में कथन किये है कि यह प्रार्थना पत्र जिस अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया था उसके द्वारा सहवन से आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 में प्रस्तुत किया गया है जबकि यह सी0पी0सी0 के आदेश 13 नियम 2 के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था। अधिवक्ता को सी0पी0सी0 के तत्कालीन प्रासंगिक प्रावधानों में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसलिये उल्लेखनीय है कि किसी अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं मिलनी चाहिये। अतः जो पब्लिक दस्तावेज पेश किया गया है उक्त दस्तावेज को सी0पी0सी0 के तत्कालीन प्रासंगिक प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाना चाहिये। विचारण न्यायालय द्वारा वादिया (अप्रार्थी सं0 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 दिनांक 31–02–2005 को न्याय निर्णय में सहायक सिद्ध होने के कारण प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश विधि सम्मत रूप से सही स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य है। **उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2009 डी0एन0जे0 पेज 429 से 435 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5033/2005/नागौर** **मेघाराम बनाम किस्तुरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– हमने प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं निगरानीधीन आदेश एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन व परिशीलन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिया मु0 किस्तुरी द्वारा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के समक्ष राजस्व वाद ग्राम गुड़ा भगवानदास, तहसील खींवसर में स्थित वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं0 855 व 865 बाबत् प्रस्तुत किया था। जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया। दौराने वाद वादिया (अप्रार्थी सं0 1) द्वारा आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31–03–2005 को प्रस्तुत कर खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनकर अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 28–09–2005 से उक्त प्रार्थना पत्र को कोस्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड पर लिया गया है। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि आदेश 13 नियम 2 सी0पी0सी0 चूंकि 2002 में ही समाप्त हो चुका था। अधिवक्ता को तत्कालीन प्रासंगिक प्रावधानों में प्रार्थना पत्र के माध्यम से दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत करना चाहिये था परन्तु सी0पी0सी0 के प्रासंगिक प्रावधानानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं मिलनी चाहिये। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त **2009 डी0एन0जे0 पेज 429 से 435** में अभिनिर्धारित किया है कि :– It is also now a well-settled principle of law that mentioning of a wrong provision or non-mentioning of any provision of law would, by itself, be not sufficient to take away the jurisdiction of a Court if it is otherwise vested in it in law. Wile exercising its power, the Court will merely consider whether it has the source to exercise such power or not. The Court will not apply the beneficient provisions like Sections 5 and 14 of the Limitation Act in a pedantic manner. When the provisions are meant to apply and in fact found to be applicable to the facts and	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5033/2005/नागौर** **मेघाराम बनाम किस्तुरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

circumstances of a case, in our opinion, there is no reason as to why the Court will refuse to apply the same only because a wrong provision has been mentioned. In a case of this nature, sub-section (2) of Section. 14 of the Limitation Act per se may not be applicable, but, as indicated hereinbefore, the principles thereof would be applicable for the purpose of condonation of delay in terms of Section 5 thereof.

8– प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादिया/अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 को प्रकरण के विधिक रूप से सही निस्तारण किये जाने में सहायक सिद्ध होने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर लेने के आक्षेपित आदेश पारित किये गये हैं।

न्याय प्रशासन का यह दायित्व है कि वह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त अनुसार सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए यथासम्भव उन सभी दस्तावेजों को जो न्याय करने में सहायक हों उन्हें रिकॉर्ड पर लेकर ही निर्णय करना चाहिये। प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रस्तुत पब्लिक दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने से किसी भी पक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु उक्त दस्तावेज न्याय निर्णयन में सहायक ही सिद्ध होगें। ''हमारे विनम्र मतानुसार भी प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने से उक्त पब्लिक दस्तावेज के आधार पर न्यायालय को निर्णय करने में सहायता ही मिलेगी। यद्यपि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने हेतु सी0पी0सी0 के तत्कालीन प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया था परन्तु फिर भी न्यायहित में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–09–2005 द्वारा पब्लिक दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश को न्यायहित में स्वीकार किये जाने को उचित मानते हैं।'' अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

9– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते हैं।

10– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी न्यायहित में **खारिज** की जाती है। विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत पब्लिक दस्तावेज पर उभयपक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/5033/2005/नागौर** **मेघाराम बनाम किस्तुरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को सुनकर अग्रिम कार्यवाही करे। 11– पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	